न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1502–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–6–15 पारित द्वारा तहसीलदार शाहपुर जिला बैतूल प्रकरण कमांक 17/अ–12/14–15

1– ओमप्रकाश आत्मज सतीश चन्द्र गुप्ता
2– रामप्रकाश आत्मज सतीश चन्द्र गुप्ता
निवासीगण शाहपुर
तहसील शाहपुर जिला बैतूल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– अशोक कुमार आत्मज वनवारी लाल मालवीय
2– नरेश कुमार आत्मज वनवारी लाल मालवीय
3– अमन नाबालिक वल्द सुरेश वली
बाबा वनवारी लाल मालवीय (कलार)
निवासीगण पतौआपुरा, शाहपुर
तहसील शाहपुर जिला बैतूल .....अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 11/10/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, शाहपुर जिला बैतूल द्वारा पारित आदेश 5–6–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 अशोक कुमार द्वारा तहसीलदार, शाहपुर जिला बैतूल के समक्ष उसके स्वामित्व की ग्राम शाहपुर स्थित भूमि सर्वे

क्रमांक 113/4 रकबा 0.008 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अ–12/14–15 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन किये जाने के निर्देश दिये गये । राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 4–6–14 को सीमांकन किया जाकर तहसीलदार के समक्ष प्रतिवेदन मय पंचनामा प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 5–6–15 को आदेश पारित कर सीमांकन की पुष्टि की जाकर प्रकरण समाप्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक को 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत किये जाने थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) पंचनामा जो बनाया गया है, उसमें कहीं पर भी चांदे–मुनारों से मिलान कर, सीमांकन कार्य किया गया, यह दर्शित नहीं है, इस कारण समस्त सीमांकन कार्यवाही अवैध और शून्य होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) पंचनामा दिनांक 4–6–2015 में आवेदक ने हस्ताक्षर से इंकार किया टीप लिखी हुई है, जो ग्राम कोटवार इन्द्रा अतुलकर की है । इसी में अशोक मालवीय, ग्राम कोटवार, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, शंकर लाल परसाई, के हस्ताक्षर हैं । इस प्रकरण में आवेदकगण ओमप्रकाश एवं रामप्रकाश आत्मज सतीश चन्द्र गुप्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं । इस पंचनामें में कौन–कौन व्यक्ति उपस्थित थे, उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है ।

(3) तहसीलदार के समक्ष दिनेशचंद गुप्ता, उमाशंकर गुप्ता एवं मुरारी लाल गुप्ता द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी, जिनका कोई निराकरण तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए :–

(1) अनावेदकगण अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया है, जिसके संबंध में पड़ौसी कास्तकारों को सीमांकन कार्यवाही की विधिवत सूचना दी गई थी तथा उनकी उपस्थिति में सीमांकन कराया गया था । उक्त सीमांकन में वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो गई है, जिससे

व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि उन्हें निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं था ।

(2) सीमांकन कार्यवाही भूमिस्वामी द्वारा स्वयं की भूमि पर करवायी जाती है । अनावेदकगण द्वारा अपनी भूमि की सही स्थिति जानने के लिए उक्त सीमांकन करवाया है । यदि आवेदकगण उक्त सीमांकन कार्यवाही से व्यथित हैं तो उन्हें अपनी भूमि का सीमांकन करवाना चाहिए, जिससे उनकी भूमि की स्थिति एवं सीमा चिन्ह ज्ञात हो सके । परन्तु आवेदकगण अपनी भूमि का सीमांकन न करवाकर अनावेदक के सीमांकन को चुनौती दी गई है, जो कि उचित नहीं है ।

(3) तहसीलदार द्वारा सीमांकन की कार्यवाही किए जाने हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल, शाहपुर को निर्देशित किया गया था, जिसके अनुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 25–5–2015 को आवेदकगण को सीमांकन की कार्यवाही की विधिवत सूचना दी गई थी । उक्त सूचना पत्र तहसील न्यायालय की पत्रावली के पेज नं. 9 पर संलग्न है । इस प्रकार आवेदकगण का यह तर्क कि सीमांकन कार्यवाही की सूचना नहीं है, नितान्त अवैध एवं अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(4) सीमांकन कार्यवाही में स्थल का प्रतिवेदन वास्तविक रूप से दिनांक 4–6–15 को तैयार किया गया था, जिसमें बताया गया कि वादग्रस्त भूमि का सीमांकन दिनांक 4–6–15 को पड़ौसी लोगों की उपस्थित में सीमांकन दल एवं पुलिस वर्ग की उपस्थिति में किया गया है । मौके पर घनी आबादी एवं दुकान स्थित होने के कारण उक्त सीमांकन स्थल पर वास्तविक रूप से किया गया है । ऐसी स्थिति में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन को बिना किसी आधार के अवैध माना जाना एवं न्याय के विपरीत है ।

(5) वादग्रस्त भूमि के संबंध में आवेदकगण द्वारा व्यवहार वर्गधीश वर्ग–1 बैतूल के न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 1 ए/2002 प्रस्तुत किया गया था, जो पारित आदेश दिनांक 30–4–2002 से आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का निरस्त किया गया था, जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा सिविल रिवीजन प्रकरण कमांक 85/2010 में पारित आदेश दिनांक 17–3–2015 से रिवीजन निरस्त की गई थी । अतः व्यवहार न्यायालय का आदेश एवं डिक्री राजस्व

न्यायालय पर बंधनकारी होने से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी मात्र इसी आधार पर अमान्य किए जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 5–6–15 को अंतिम आदेश पारित करने के उपरांत मुरारीलाल गुप्ता, उमाशंकर गुप्ता एवं दिनेशचंद द्वारा पृथक–पृथक आपत्ति प्रस्तुत करने के कारण प्रकरण पुनः जवाब हेतु नियत किया गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का भी अवसर उपलब्ध है, अतः यह निगरानी प्रीमेच्योर होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर